



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्रकरण क्र. / 13 निगरानी R - ३४८३ - १११३

1. रामयश हिंदूवेदी पुत्र स्व. श्री चन्द्रिका राम ब्राह्मण आयु 70 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी—ग्राम दुबगंवाढ़वान थाना व तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

2. रामजतन हिंदूवेदी पुत्र स्व. श्री चन्द्रिका राम ब्राह्मण आयु 65 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी—ग्राम दुबगंवाढ़वान थाना व तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्रीमती प्रेमवती पटेल पत्नी श्रीनिवास पटेल
2. श्रीमती चन्द्रवती पटेल पत्नी सुरेन्द्र पटेल निवासीगण ग्राम पाडर ग्राम व तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)
3. उमेश गुप्ता पुत्र चन्द्रमा गुप्ता निवासी— गंज थाना व तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक ८.८.१३ जिसे तहसीलदार तहसील मऊगंज रीवा म.प्र. ने अपने यहां के प्र.क्र. ११/ ए७०/ २०१२-१३ में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, तहसीलदार महोदय के न्यायालय में आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अवैध निर्माण अनावेदकगण के द्वारा जो किया जा रहा है उस निर्माण

पक्षकारा एवं साध्यभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

R 3483. III / 13

16-7-15

आवेदन की घोर से आम उपयोग
नहीं। पूर्व प्रश्न-पत्र अवेदन के रागणितक
समेत उपलेखित के अनुसार उनका प्रश्न-पत्र है।
16.7.15 जोड़े गये थे। आवेदन के
पूर्व अवेदन के 2 राजा भगवान् हैं।
केवल राजा का निवास की वज्र ही है।
जितेः राजा का आवेदन के प्रकरण का
सूचना थी। जिसके सूचना
उपरान्त जनुप्रयोग से के बारे में यहाँ
जैसे प्रश्न के रूपमें लिखा गया है।
प्रकरण संक्षेप में लिखा है।

61
21-22